

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक १२ सितम्बर, 2019

क्रमांक १६३२/१९१३/२०१९/१४-१: राज्य शासन एतदद्वारा श्री आर०के०गणेश, प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वारासिवनी जिला बालाघाट को अपने कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान प्रबंध संस्थान(मैनेज) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद का मैनेज फैसिलिटेटर नियुक्ति किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

१२.९.१९

(बबीता वसुनिया)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल, दिनांक १२ सितम्बर, २०१९

पृष्ठा ०५ क्र. १६३३/१९१३/२०१९/१४-१

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान(मैनेज) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद- ५०० ०३०
2. विशेष सहायक, मा.मंत्रीजी, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/राज्य कृषि स्तरीय विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल
5. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जबलपुर म.प्र.
6. प्राचार्य, कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वारासिवनी जिला बालाघाट म.प्र.
7. संबंधित अधिकारी
8. आर्डर-बुक

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

१२.९.१९

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

ए.उत्तर प्राचार्य कृषि विकास विभाग
कृषि विकास विभाग कृषि विकास विभाग

